

भारत सरकार  
(वित्त मंत्रालय)  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

192/16

सेवा में,

परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवा संस्था,  
गाँव- कान्हा सिटोरयून, ब्लाक कोट,  
पोढ़ी गढ़वाल।

**PAN-AAATP9546L**

विषय:- आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र।

उपर्युक्त विषय पर आपकी याचिका जो कि इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2012 को प्राप्त हुई के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवा संस्था, गाँव- कान्हा सिटोरयून, ब्लाक कोट, पोढ़ी गढ़वाल **PAN-AAATP9546L** को दिया गया संदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्ति के लिए दिनांक 27.02.2013 से वैध है।



( सोनाली अरोड़ा )

आयकर आयुक्त, देहरादून

- दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनांक लिखा होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी लिखें कि यह प्रमाण पत्र दिनांक 27.02.2013 से वैध है।
- प्राप्तियों और खर्चों के हिसाब का वार्षिक विवरण आयकर अधिकारी के पास अवश्य प्रस्तुत करें।
- यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में सोसायटी/ट्रस्ट को जारी किये गये इस कर मुक्ति प्रमाण पत्र को कमी भी इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- ट्रस्ट/सोसायटी आयकर अधिनियम की सभी धाराओं का पालन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगी कि आयकर अधिनियम में उल्लिखित पूर्व प्रयोजन की परिभाषा का उल्लंघन न हो।

सम संख्या और दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- न्याय/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थ।
- आयकर अधिकारी, वार्ड-2, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। यदि कोई न्याय/संस्था अपने जन कल्याण उद्देश्य के विपरीत फण्ड का दुरुपयोग करता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
- संयुक्त आयकर आयुक्त, हरिद्वार रैंज, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

( प्रेम अरोड़ा )

आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
कूते आयकर आयुक्त, देहरादून